उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की बैठक दिनांक 3.3.92 को परिषद मुख्यालय, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में हुई वर्ष 1992 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 3.3.92 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | श्री आर०एस० माथुर | प्रमुख सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन। | अध्यक्ष |
| (2) | श्री शंकर अग्रवाल | विशेष सचिव, वित्त विभाग वित्त सचिव के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (3) | श्री जे०पी० भार्गव | मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक | सदस्य |
| (4) | श्री श्रीकृष्ण | प्रमुख सचिव/महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (5) | श्री पी०के० पाण्डे | प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. जलनिगम लखनऊ के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (6) | श्री अतुल कुमार गुप्ता | आवास आयुक्त | सदस्य |
| (7) | श्री के०एन० प्रसाद | अपर आवास आयुक्त एवं सचिव | सचिव |

विशेष आमंत्री के रूप में :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री एस०के० वर्मा | मुख्य अभियन्ता |
| (2) | श्री आर०एस० दोहरे | मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी |
| (3) | श्री ए०के० पचौरी | मुख्य वास्तुविद् नियोजक |

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :-

| क्र०सं० | विषय | संकल्प संख्या | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | दि० 15.1.92 को हुयी प्रथम बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि। | 11/(1)/92 | दि० 15.1.92 की हुयी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। |
| (2) | परिषद की बैठक दि० 15.1.92 की अनुपालन आख्या। | 11/(2)/92 | परिषद की बैठक दि० 15.1.92 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। |
| (3) | यो०सं०-2, अमरोहा में प्रस्तावित 102नग आ०आ०वर्ग 26/40प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(3)/92 | परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। |
| (4) | सिकन्दरा यो०-आगरा के सेक्टर-15 में प्रस्तावित 112नग दु०आ०व० 18/30प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने | 11/(4)/92 | -- तदैव -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| ﴾6﴿ | सिकन्दरा यो0-आगरा के सेक्टर-16 में प्रस्तावित 174नग अ0आ0व0 19/41प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। | 11/﴾6﴿/92 | परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। |
| ﴾7﴿ | यो0सं0-2, कानपुर के सेक्टर-2 में प्रस्तावित 16नग दु0आ0व0 18/30 प्रकार भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी0 निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/﴾7﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾8﴿ | चरण विहार यो0सं0-1, बडौत में प्रस्तावित 100नग दु0आ0व0 18/40 प्रकार भवनों हेतु प्रशासनिक एवं वि0 स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/﴾8﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾9﴿ | यो0सं0-1, खटीमा में प्रस्तावित 20 नग दु0आ0व0 18/30प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/﴾9﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾10﴿ | संजय विहार यो0सं0-2, हापुड़ में प्रस्तावित 78नग अ0आ0व0 29/60 प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वि0 स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में। | 11/﴾10﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾11﴿ | सिकन्दरा यो0-आगरा के सेक्टर-7 में प्रस्तावित दु0आ0व0 18/40प्रकार के 63नग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव। | 11/﴾11﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾12﴿ | सिकन्दरा यो0-आगरा के सेक्टर-8 में प्रस्तावित 192नग दु0आ0व0 18/40 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। | 11/﴾12﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾13﴿ | यो0सं0-1, गदरपुर में प्रस्तावित 25 नग दु0आ0व0 18/30प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। | 11/﴾13﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾14﴿ | भरतपुर यो0-गोण्डा में प्रस्तावित 55नग अ0आ0व0 18/60प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/﴾14﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾15﴿ | चरण विहार यो0-1, बडौत में प्रस्तावित 16नग अ0आ0व0 29/60 प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। | 11/﴾15﴿/92 | — तदैव — |
| ﴾16﴿ | सिकन्दरा यो0-आगरा के सेक्टर-1 में प्रस्तावित 116नग दु0आ0व0 18/40 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/﴾16﴿/92 | — तदैव — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| §18§ | ओबरी यो0-बाराबंकी में प्रस्तावित 31नग दु0आ0व0 18/40प्रकार भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/§18§/92 | परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। |
| §19§ | तालपुरा यो0-झाँसी में प्रस्तावित 55नग दु0आ0व0 18/60प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/§19§/92 | -- तदैव -- |
| §20§ | तालपुरा यो0-झाँसी में प्रस्तावित 89नग दु0आ0व0 18/30प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/§20§/92 | -- तदैव -- |
| §21§ | यो0सं0-2, बदायूँ में 100नग दु0आ0व0 18/40प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/§21§/92 | -- तदैव -- |
| §22§ | सिकन्दरा यो0-आगरा के सेक्टर-14 में प्रस्तावित 298नग दु0आ0व018/30 प्रकार भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। | 11/§22§/92 | -- तदैव -- |
| §23§ | नेहरूनगर यो0-11, देहरादून में प्रस्तावित 19नग अ0आ0व0 19/41प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/§23§/92 | -- तदैव -- |
| §24§ | निर्माण एवं विकास कार्यों की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष में वास्तविक निर्माण होने पर लागत में बढ़ोत्तरी के कारण एवं इस बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए उपायों के सम्बन्ध में। | 11/§24§/92 | -- तदैव -- |
| §25§ | दिल्ली मार्ग यो0-10, मेरठ के सेक्टर-3 में पूर्व निर्गत दु0आ0व0 12/24प्रकार के भवनों की प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए इसके स्थान पर 147नग दु0आ0व0 14/24प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। | 11/§25§/92 | -- तदैव -- |
| §26§ | ओबरी यो0-बाराबंकी में प्रस्तावित 15नग अ0आ0व0 29/60प्रकार भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। | 11/§26§/92 | -- तदैव -- |
| §27§ | इन्दिरानगर विस्तार यो0 के से0-15 में प्रस्तावित 22नग दुकानों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी0 निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/§27§/92 | -- तदैव -- |
| §28§ | बसुन्धरा यो0-गाजियाबाद के से0-15 में प्रस्तावित 3/4 मंजिल 996नग | 11/§28§/92 | -- तदैव -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| ŏ30ŏ | कार्यप्रभारित बिजली मिस्त्री का वेतनमान पुनरीक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में। | 11/ŏ30ŏ/92 | परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |
| ŏ31ŏ | चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में। | 11/ŏ31/92 | विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर और विचार किया जाना आवश्यक है। यदि पूर्व में प्रदत्त सुविधाओं का उपभोग किया जाना है, तो शासनादेश में प्रदत्त असीमित प्रतिपूर्ति की सुविधा दिए जाने पर गम्भीरता से विचार की आवश्यकता है। प्रकरण का और परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाए। |
| ŏ32ŏ | झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0 सं0-4, इलाहाबाद के लिए धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | 11/ŏ32ŏ/92 | परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |
| ŏ33ŏ | एटा भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0 सं0-2 में समाविष्ट भूमि सं0-1841/2, 1825/2, 1835, 1836, 1837/2, 1843/2, 1825/1 को अर्जनमुक्त करने के संबंध में। | 11/ŏ33ŏ/92 | -- तदैव -- |
| ŏ34ŏ | इन्दिरानगर प्रथम विस्तार यो0- लखनऊ में स्थित खसरा सं0-30, ग्राम- इस्माईलगंज की आंशिक भू-भाग को व्यवसायिक दरों पर आवंटित करने के सम्बन्ध में। | 11/ŏ34ŏ/92 | -- तदैव -- |
| ŏ35ŏ | विकास शुल्क चार्ज लिए जाने के संबंध में नीति निर्धारण। | 11/ŏ35ŏ/92 | विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर सिद्धान्त रूप में सहमति है, परन्तु लागू करने से पूर्व यह देख लिया जाए कि विधि अनुसार विकास शुल्क लिया जा सकता है अथवा सुधार शुल्क लिया जाना चाहिए।<br>यह भी निर्णय हुआ कि परिषद द्वारा लगायी गयी विकास शुल्क के अधीन अभी तक वसूली क्यों नहीं की गयी व इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? |
| ŏ36ŏ | उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत आवासीय योजनाओं के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार करने के लिए धारा-28 का प्रारूप। | 11/ŏ36ŏ/92 | विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि धारा-28 की स्वीकृति के समय बहुत अधिक औपचारिकताएं न रखी जाए। वर्तमान प्रस्तावों में जो औपचारिकताएं निहित है वह धारा-28 एवं धारा-31 के अनुमोदनों के मध्य इस प्रकार रखी जाए कि जहाँ धारा-28 में न्यूनतम आवश्यकताएं रहे वहीं धारा-31 में विस्तृत एवं सुपरीक्षित अध्ययन उपलब्ध हो। |
| ŏ37ŏ | परिषद द्वारा निर्माणाधीन भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में। | 11/ŏ37ŏ/92 | प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि नियम-28ŏ2ŏ में प्रस्तावित संशोधन में प्रस्तर-3 में "अधिकतम एक वर्ष की समुचित किश्तों में" के स्थान पर "समुचित अवधि की समुचित किश्तों में" रखा जाए। |
| ŏ38ŏ | बदपुर यो0सं0-1, फतेहगढ़ के अन्तर्गत श्रीमती सुखरानी पत्नी स्व0श्री गोपाल | 11/ŏ38ŏ/92 | प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अस्वीकृत किया गया। |

| | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| §40§ | मूल्यांकन निदेशिका-86 संशोधन संस्करण-88 में किए गए संशोधनों का अनुमोदन। | 11/§40§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संशोधित मूल्यांकन निदेशिका प्रस्तुत की जाए, जो कि विस्तृत न होकर संक्षिप्त एवं सारगर्भित हो। परन्तु जबतक यह संशोधित निदेशिका स्वीकृत हो, तब तक वास्तविक ब्याज की दरों को मूल्यांकन में सम्मिलित करने तथा ऐसी अन्य लागतें जो कि की जा रही हों, परन्तु मूल्य में सम्मिलित न हो रही हों उन्हें सम्मिलित करने की अनुमति दी गयी है। |
| §41§ | वर्ष 1991-92 का कैश फ्लो विवरण। | 11/§41§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त कैश फ्लो की स्थिति अवलोकित हुई तथा निर्देश दिए गए कि आगामी बैठक में परिषद के लेखों के बारे में एक टिप्पणी प्रस्तुत की जाए। |
| §42§ | दुर्बल आय वर्ग के भवनों एवं छोटे भूखण्ड§80 वर्ग मी0 तक के भूखण्ड§ के लिए पंजीकरण धनराशि का निर्धारण। | 11/§42§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। |
| §43§ | सम्पत्ति निस्तारण की स्थिति। | 11/§43§/92 | प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तर-4 "ख" के प्रस्ताव संख्या-1 में यह संशोधन कर दिया जाए कि यदि एक आवंटन के उपरान्त सम्पत्ति अवशेष रहती है, तो भी प्रस्ताव के अन्तर्गत उल्लिखित छूट दे दी जाए।<br>इसी प्रकार प्रस्तर-4 "च" के प्रस्ताव-1 में संशोधन किया गया कि आवंटन की कमेटी में सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के अतिरिक्त संबंधित सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता को रखा जाए। इन संशोधनों के साथ सभी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।<br>यह भी निर्देश दिए गए कि बेहतर पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षण अधिकारियों को क्षेत्र में ही तैनात किया जाए। |
| §44§ | विज्ञापन जारी करने की नीतियों के सम्बन्ध में। | 11/§44§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया। |
| §45§ | परिषद की मेरठ यो0सं0-1, 3, 6 तथा 7 की समुचित विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु एक अतिरिक्त विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में। | 11/§45§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| §46§ | उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम की कार्य प्रणाली के आधार पर परिषद में विभागीय पद्धति पर निर्माण एवं विकास तथा डिपाजिट कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में। | 11/§46§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अवलोकित किया गया। |
| §47§ | मेरठ यो0सं0-10 में 33के.वी. विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के संबंध में। | 11/§47§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| §48§ | गाजियाबाद के बसुन्धरा योजना में स्थापित कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारियों को विशेष वाहन भत्ता | 11/§48§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अवलोकित एवं स्वीकृत किया गया। |

| 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| §50§ आलमनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ के सम्बन्ध में। | 11/§50§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। |
| §51§ परिषद की गाजियाबाद यो0सं0-3 में समाविष्ट ग्राम साहिबाबाद की भूमि खसरा सं0-675, 676, 671, 674, 667 एवं 668 श्री मोती लाल गोयल के आवेदन के अनुसार योजना में समा-योजित करने के सम्बन्ध में। | 11/§51§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि परिषद की गत बैठक दि0 15.1.92 में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाए। |
| §52§ रामपुर में भारतीय स्टेट बैंक को स्वयं वित्त पोषित योजना के भवनों के स्थान पर अन्य भवन आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में। | 11/§52§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि स्टेट बैंक आफ इण्डिया, रामपुर अपने परिसर में बनाये जाने वाले भवनों का निर्माण परिषद से कराते है, तो प्रस्ताव अनु-सार भवन उपलब्ध करा दिये जायें अन्यथा बैंक के लिए उनकी आवश्यकतानुसार पर्व निर्णय के अन्तर्गत स्वयं वित्त पोषित भवन बना दिए जाए। |
| §53§ शास्त्रीनगर यो0सं0-3, मेरठ के अंतर्गत श्री इन्द्रगण सिंह, भू0पू0 विधायक के पक्ष में पदिष्ट भखण्ड सं0-258 के अतिरिक्त भूमि की धनराशि पर ब्याज के संबंध में। | 11/§53§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि यदि वह अतिरिक्त भूमि निर्धारित शर्तों एवं भुगतान के अनुसार नहीं लेना चाहते है, तो उन्हें अतिरिक्त भूमि न दी जाए। |
| §54§ परिषद ऋणों पर ब्याज दरों में संशोधन. | 11/§54§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। |
| §55§ रू0 25.00लाख लागत तक के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव आवास आयुक्त स्तर से स्वीकृत करने के संबंध में। | 11/§55§/92 | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। |
| §56§ पंजीकरण हस्तान्तरण की सुविधा। | 11/§56§/92 | यह निर्णय हुआ कि प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाए। |
| §57§ अध्यक्ष§म0§ की अनुमति से अन्य कोई विषय। | 11/§57§/92 | |
| §क§ परिषद कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वयं वित्त पोषित योजना के भवनों पर छूट दिये जाने विषयक संकल्प सं0-पंचम/§44§/86, दि0 18/22.12.86 पर पुर्नविचार किए जाने के संबंध में। | | विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। |
| §ख§ परिषद के अवलोकनार्थ बाई-सरकुलेशन अनुमोदित प्रशासनिक स्वीकृतियों का सारांश। | | प्रशासनिक स्वीकृतियों के सारांश पर परिषद द्वारा यह निर्देश दिए गए कि प्रशास-निक स्वीकृतियों के सारांश की तालिका को संशोधित किया जाए, जिससे मानक लागत के अतिरिक्त लागत को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाए। साथ ही यह भी दर्शाया जाए कि इस अतिरिक्तता में क्या-क्या मुख्य भाग है तथा उनका क्या प्रतिशत है ? <br> परिषद की गत बैठक में रखी गई पुन-रीक्षित प्रशासनिक स्वीकृतियों का सारांश भी आगामी बैठक में रखा जाए। |

पुष्टि की गयी